श्रीमती अनीता देवी, माननीया स०वि०स० से प्राप्त प्राप्त प्रतिहस्ताक्षरित याचिका सं०–81/26 का उत्तर प्रतिवेदन

<u>याचिकाकर्त्ता का नाम एवं पता</u>

1. संजय कुमार, ग्राम–अब्दालपुर, प्रखंड–वारिसलीगंज, जिला–नवादा।
2. जयनन्दन यादव, ग्राम–अब्दालपुर, प्रखंड–वारिसलीगंज, जिला–नवादा एवं अन्य दो

याचिका	उत्तर
नवादा जिलान्तर्गत प्रखंड वारिसलीगंज में पौरा मुख्य नहर के एक नंबर फॉल निकट बने वितरणी एवं नहर का निर्माण ग्राम–भलुआ, हाजीपुर, मुरारविगहा, अब्दालपुर, मोतालिफ, खैरा, महदेवा, ओरानी, बेल्ढा, गहुआ, विशनपुर, मीरचक इत्यादि ग्रामों के हजारों एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए किया गया है। परंतु उक्त वितरणी का सतह नहर के सतह से काफी ऊपर कर दिया गया है जिसके कारण वितरणी से नहीं के बराबर पानी निकलती है। हमलोगों को खेतों की सिंचाई भगवान के भरोसे है। उक्त वितरणी का सतह नहर के पानी के बराबर करने हेतु हमलोग 08 नवंबर 2005, 12 जनवरी 2009, 29 अक्टूबर 2014 सहित दर्जनों बार कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग कार्य प्रमंडल–बिहारशरीफ, नालंदा एवं जिला पदाधिकारी नवादा से मिलकर आवेदन दिया परंतु किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किया गया है। अतः पौरा नहर के उक्त वितरणी को नहर के पानी के सतह के बराबर कराकर नहर में पानी आपूर्ति करवाने हेतु हमलोग याचिका देता हूँ।	वस्तुस्थिति यह है कि :– नवादा जिलांतर्गत वारिसलीगंज प्रखंड में अवस्थित सकरी सिंचाई योजना के पौरा वीयर से दायाँ मुख्य नहर निकलती है, जिसकी कुल लंबाई 19.60 कि०मी० है। उक्त नहर के 1.20 कि०मी० से दायाँ तरफ हाजीपुर वितरणी निकलती है। हाजीपुर वितरणी के H/R का तल दायाँ मुख्य नहर के तल से लगभग 2 फीट ऊपर है। दायाँ मुख्य नहर में जलश्राव की अधिकतम गहराई 3.50 फीट तक हो सकती है। दायाँ मुख्य नहर में 2 फीट से अधिक गहराई में जलश्राव रहने पर हाजीपुर वितरणी में जलश्राव प्रवाहित होता है। विगत वर्ष में इस वितरणी के अंतिम छोर तक जलश्राव प्रवाहित किया गया है। सिंचाई प्रणाली में वितरणी का तल उसके कमाण्ड क्षेत्र के भूमि के तल के अनुसार निर्धारित रहता है। अतः हाजीपुर वितरणी के तल को दायाँ मुख्य नहर के तल के बराबर करना श्रेयष्कर नहीं होगा।

बिहार सरकार

<u>जल संसाधन विभाग</u>

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–07–17/2026 पटना/दिनांक :.......................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–212 दिनांक–06.04.2026 के आलोक में याचिका सं0–81/26 का उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(अनिल कुमार पाण्डेय)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–07–17/2026 पटना/दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–07–17/2026 पटना/दिनांक :........................

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–07–17/2026 3082 पटना/दिनांक : 4/6/26

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/26
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव